

// 1 //

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद ( अजमेर )

पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 35/2014

उनवान

1. हीरा पुत्र पीता (फौत)

1/1. दुर्गा पत्नी हीरा

1/2. ईश्वर

1/3. प्रताप

1/4. उगमी

1/5. सीता पि० हीरा जाति रावत नि० ग्राम बिदुर, नसीराबाद

— प्रार्थी :- जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. तीजी देवी पत्नी मिट्टु,

2. कुलदीप पुत्र मिट्टु

3. प्रभु सिंह पुत्र मादू,

4. मंजू पुत्री मादू,

5. हीरा पुत्र रामा जाति रावत नि० ग्राम बिदुर, नसीराबाद,

6. नीर मौ० पुत्र बादर खां,

7. कमाल खान पुत्र लाल मौ० जाति मेहरात नि० बिदुर नसीराबाद

8. राज० सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

9. मैनेजर, एस.बी.आई. शाखा मांगलियावास, नसीराबाद

10. उप पंजीयक, नसीराबाद

— अप्रार्थीगण :- 3, 4, 5, 7 जरियें अधिवक्ता श्री केशव बीजावत

11. रतन पुत्र मोती (फौत)

11/1. सुरजा पत्नी रतन जाति रावत नि० ग्राम बिदुर, नसीराबाद

— प्रफोर्मा अप्रार्थीगण :-

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

— आदेश :-

दिनांक :- 18.6.24

प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बिदुर के वर्किंग खसरा नम्बर 868 रकबा 4-0-0 हाल खसरा नम्बर 1082 रकबा 0.30 व 1083 रकबा 0.34 की आराजी के मूल खातेदार मादू, मिट्टु, हीरा पुत्र रामा जाति रावत थे। उनके द्वारा उक्त आराजी दिनांक 22.02.1978 को हीरा व मोती पि. पीथा को बैचान कर दी। केता व विकेता की मृत्यु हो गयी जिसके वारिस अप्रार्थीगण है तथा केता हीरा स्वयं प्रार्थी है। उक्त आराजी प्रार्थी की कयशुदा होने के बावजूद अप्रार्थीगण के नाम गलत तरीके से दर्ज कर दी गयी। जिस कारण अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर बिना किसी अधिकार के दखलदांजी कर रहे हैं तथा अप्रार्थीगण उक्त आराजी को बैचान करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पेश किया जावे।

—2

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद (अजमेर)



प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3, 4, 5, 7 ने मूल वाद में जवाब पेश कर निवेदन किया कि हाल खसरा नम्बर 1082 व 1083 अप्रार्थी कमाल खान द्वारा कय कर लिये गये तथा अप्रार्थी कमाल खा उक्त आराजी पर काबिज व राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज है। वादी ने उक्त आराजी का वाद अत्यधिक विलम्ब से पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रतिवादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में जवाब पेश नहीं कर वाद में प्रस्तुत जवाब को ही स्वीकार करने का निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण व राज० पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते हैं।

1. प्रथम दृष्टया मामला :- पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार आराजी मुतनाजा वंकिंग खसरा नम्बर 868 रकबा 4-0-0 की आराजी मादू व मिटु पि० रामा न माती हीरा पि. पिथा को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 22.02.1978 को बैचान कर दी। क्रेता व विक्रेता की मृत्यु हो गयी जिसके वारिस अप्रार्थीगण है तथा क्रेता हीरा स्वयं प्रार्थी है। वंकिंग जमाबंदी में उक्त आराजी पर विक्रेता मादू हीरा व मिटु पुत्र रामा के नाम दर्ज है। मादू के वारिसान द्वारा भी उक्त आराजी अन्यत्र बैचान कर दी है तथा उक्त बैचान के आधार पर वर्तमान में सम्पूर्ण आराजी अप्रार्थी संख्या 7 के नाम दर्ज कर दी है। माननीय सिविल न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 15/2014 हीरा बनाम प्रमु में आराजी मुतनाजा पर दिनांक 21.02.15 को आदेश पारित कर उभयपक्ष को मूल वाद के निस्तारण तक भूमि का बैचान नहीं करने हेतु पाबंद किया गया है। प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण आराजी कय नहीं की गयी है। किन्तु उनके द्वारा सह खातेदार मादू व मिटु से उक्त आराजी कय करना प्रतित होता है। हाल राजस्व अभिलेख में भूमि अप्रार्थी संख्या 7 के नाम दर्ज है। किन्तु प्रार्थी का विक्रय पत्र पूर्व का है। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्ध होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :- विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नहीं दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा प्रार्थी की कयशुदा है। अप्रार्थी संख्या 7 को भूमि का बैचान बाद में किया गया है। यदि व्यादेश जारी नहीं किया जाता है तो मौके पर वाद बहुलता की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होती है।

3. सुविधा का संतुलन :- न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्ध होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। तदनुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्ध होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्ध होंगे।

आदेश :- अतः ग्राम ग्राम बिदुर के की आराजी मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 1082 रकबा 0.30 व 1083 रकबा 0.34 पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र "स्वीकार" किया जाता है। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा में मौके व राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद